चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय,जीन्द
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind
(Established by the State Legislature Act 28 of 2014
Recognized under section 12(b) & 2(f) of UGC Act, 1956)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

खुली बोली

चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द के परिसर में फलों के बाग की दिनांक– 13/06/2019 को दो साल के लिए खुली बोली होगी, जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. अमरूद का पेड़ – 56 पेड़

2. बेर का बाग पेड़– 596 पेड़

बोली लगााने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक– 13/06/2019 को विश्वविद्यालय प्रांगण में सुबह 11:00 बजे सभागार कक्ष में 50000/– (रूपये पच्चास हजार) का डिमांड ड्राफ्ट (रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी) के पक्ष में बोली राशि के साथ आ सकते है। अन्य नियम व शर्तें मौके पर ही सुना दी जाएंगी।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

बोली की शर्तें–

1. बोली लगाने वाले को बोली शुरू करने से पहले रू 50000/– का डिमांड ड्राफ्ट (रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी) के पक्ष में पेशगी जमा करवाने होगें।
2. पेड दो साल के लिए बतौर लाईसैंस पर दिये जा रहे है तथा संतोष जनक कार्य पाये जाने की स्थिति में समान नियम व शर्तों के आधार लाईसैंस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की रकम का 25 प्रतिशत भाग एक सप्ताह में जमा करवाना होगा, ऐसा न करने पर उसके पेशगी जमा राशि रूपये 50000/– जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद बोली की रकम का अगला 25 प्रतिशत भाग 01.11.2019 तक जमा करना होगा, बोली की रकम का अगला 25 प्रतिशत भाग 01.05.2020 तक जमा करना होगा शेष बोली का 25 प्रतिशत भाग 01.11.2020 तक जमा करना होगा निर्धारित समय पर बोली की रकम जमा न करने की स्थिति में ठेका अपने आप समाप्त हुआ समझा जायेगा।
4. बोली की न्यूनतम निर्धारित राशी 6 लाख रूपये दो वर्ष के लिए होगी।
5. कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए बढाया जाता है, तो तीसरे वर्ष की 50 प्रतिशत राशी 01.05.2021 को तथा शेष 50 प्रतिशत राशी 01.11.2021 तक जमा करानी होगी।
6. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय के बाग़ को किसी दूसरे व्यक्ति को देने का हक नहीं होगा। ऐसी जानकारी मिलने पर ठेका रदद कर दिया जाएगा
7. लाईसैंस का समय जून 2019 से अप्रैल 2021 तक होगा और समय की समाप्ति पर भूमि व बाग खाली करने होगे। इसके बाद बाग़ में कोई भी फसल खड़ी होगी अथवा खेती के औजार, मशीन आदि लगी रह जायेगी, तो उस पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा लाईसैंसदार का कोई हक नहीं होगा कि वह अपने सामान को उठा सके
8. लाईसैंसदार को भूमि से मिट्टी उठाने की इजाजत नहीं होगी।
9. भूमि पर किसी भी किस्म की नाजायज कब्जे की जिम्मेदारी लाईसैंसदार की होगी।
10. लाईसैंसदार को अपने खर्च पर पानी की नालियां बनानी होगी।
11. लाईसैंसदार केवल बाग़ के कार्यों के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा।
12. लाईसैंसदार को बोली का शर्तनामा लिखवाने के लिए 100 रू का स्टाम्प पेपर दफतर मे एक महीने में देना होगा।
13. ऐसे व्यक्ति को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिसने अभी तक पिछला बकाया जमा नहीं कराया, अगर वह बकाया राशि मौके पर जमा करा देता है तो उसे बोली लगाने का अधिकार होगा।
14. विश्वविद्यालय के दो टयूबवैल चलती हालत में है। लाईसैंसदार को बिजली का बिल व इनका रखरखाव की जिम्मेदारी होगी और समय समाप्ति पर चालू हालात में टयूबवैल वापिस करने होगें।
15. यदि लाईसैंसदार ने अपनी मर्जी से कोई भी टयूबवैल लाईसैंस समय में लगवाया तो उसका खर्चा विश्वविद्यालय वहन नहीं करेगा।
16. लाईसैंस की सिक्योरिटी राशि Rs. 50,000/- अग्रिम जमा करानी होगी जो बाद में लाईसैंस की समय समाप्ति पर No- dues के उपरांत वापिस कर दी जायेगी।
17. परिसर में लगे वृक्ष आदि जितनी संख्या मे हैं और जिस हालत में हैं उसी अवस्था में वापिस करने होगें।
18. यदि नहरी पानी लगता है और उसका प्रयोग लाईसैंस धारक करता है तो उसका खर्चा लाईसैंसधारक को देना होगा।
19. यदि किसी प्राकृतिक आपदा व बीमारी की वजह से फसल खराब होती है तो विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. विश्वविद्यालय के कुलपति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए बोली को रदद् कर सकता है।
21. अगर विश्वविद्यालय को जमीन की जरूरत किसी भी कार्य के लिए होगी तो लाईसैंसधारक को भूमि को खाली करना होगा इसके लिए पेड़ो की अनुपातिक राशि कम कर दी जायेगी।
22. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा कुलपति द्वारा किया जायेगा वही मान्य होगा।
23- किसी भी वाद विवाद के निपटारे के लिए जींद न्यायालय होगा।

Scanned by CamScanner